एकता संघर्ष अनुशासन

(रजिस्टर्ड एवं मान्यता प्राप्त) रजिस्टर्ड सं0 11

पेयजल तकनीकी/फील्ड कर्मचारी संगठन (प्रादेशिक)

उत्तराखण्ड जल संस्थान (उत्तराखण्ड प्रदेश)

मुख्य कार्यालयः मुख्य पम्प हाऊस मल्लीताल, नैनीताल फोन नं0 235097

कैम्प कार्यालय जल संस्थान प्रांगण रूद्रप्रयाग

कुशल सिंह रावत
प्रांतीय अध्यक्ष
मो0 नं0 9410346229

रामपाल कण्डारी
प्रांतीय महामंत्री
मो0 नं0 7579257700

पत्रांक 07 / प0 त0 फि0 / दिनांक 12/10/2023

सेवा में

मुख्य महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड जल संस्थान
जल भवन बी ब्लॉक नेहरू कालोनी
देहरादून।

विषय :– कर्मचारियों की ज्वलंतशील समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संगठन के पूर्व पत्रांक 03/दिनांक 04.03.2023, पत्रांक 06/दिनांक 11.04.2023, पत्रांक 11/दिनांक 03.05.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का समय पर निस्तारण करने हेतु अवगत कराया गया था। परन्तु बड़े खेद का विषय है कि कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का वर्तमान समय तक निराकरण नहीं किया गया है, जिससे संगठन के कर्मचारियों द्वारा भारी रोष व्यक्त किया जा रहा है –

1. विभागीय ढांचा पुनर्गठन/पुर्नरक्षित कर फील्ड/पम्प/सीवर एवं संगणक पदो के वेतनमान को उच्चीकृत कर स्टाफिग पैर्टन लागू करते हुए वेतनमान ग्रेड–पे 2400, 2800 एवं 4200 दिया जाय तथा सभी संवर्गों में पदोन्नत्ति पदों की संख्या वढ़ाई जाय एवं किया जाय।
2. कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर समूह घ से समूह ग में अविलम्ब कनिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति दी जाय।
3. संगणक का वेतनमान उच्चीकृत करते हुए संवर्ग का निर्धारण किया जाय।
4. समस्त शाखाओं में उपनल के माध्यम से कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता/डाटा एंट्री ऑपरेटरों के पदों को ढांचे में शासन से स्वीकृत कराते हुए नियमितीकरण की कार्यवाही की जाय।
5. संगठन के पत्रांक 09 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा श्री हरीश चन्द्र तिवाड़ी पुत्र स्व0 श्री राधाबल्लभ तिवारी सहायक लाईनमैन/जूनियर फिटर, उत्तराखण्ड जल संस्थान हल्द्वानी, श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 गोविन्द सिंहह, सहायक लाईन मैन/जूनियर फिटर उत्तराखण्ड जल संस्थान रानीखेत (मासी इकाई) श्री जीवन सिंह पुत्र श्री ख्याली सिंह सहायक लाईनमैन/जूनियर फिटर उत्तराखण्ड जल संस्थान रानीखेत तथा श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री ख्याली सिंह, सहायक लाईनमैन/जूनियर फिटर शाखा–रानीखेत के आवेदन पत्रों का वर्तमान तक निराकरण नहीं किया गया है शीर्षप्राथमिकता पर निराकरण कराया जाय।
6. सेवा निवृत्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान समय पर एक मुस्त किया जाय एवं स्थगित राशिकरण को पूर्व भांति बहाल किया जाय।

7. शासनादेश स0 1090 / 111(1) / 18–46(आध0) / 09 / टीसी–4(1) दिनांक 01.08.2018 के अनुसार संगठन के ऐसे पदाधिकारी जिनका कार्यकाल पदधारण की तिथि से 2 वर्ष का है उनका स्थानान्तरण न किया जाय।
8. आई0टी0आई0 योग्यता धारकों को कनिष्ठ अभियन्ता पद पर पदोन्नत्त कोटा निर्धारित किया जाय।
9. सामूहिक बीमा धारक तृतीय श्रेणी हेतु रू0 5.00 लाख, चतुर्थ श्रेणी हेतु रू0 4.00 लाख एवं एन0पी0एस0 वाले कर्मचारियों को भी इसी श्रेणी में लिया जाय।
10. समस्त संवर्गो में पदोन्नति माह नवम्बर 2023 तक की जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नहीं किया जाता है तो बिना पूर्व सूचना के संगठन द्वारा मुख्यालय में धरना प्रर्दशन किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं प्रबन्धक पक्ष एवं शासन का होगा।

भवदीय,

(रामपाल कण्डारी)
प्रांतीय महामंत्री
पे0 / त0फी0कर्म0सं0

प्रतिलिपि :–
1. मा0 पेयजल मंत्री उत्तराखण्ड शासन देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पेयजल सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव प्रशासन उत्तराखण्ड जल संस्थान देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रांतीय अध्यक्ष पेयजल तकनीकी / फील्ड कर्मचारी संगठन कुमांऊ बागेश्वर।
6. समस्त मण्डलीय सचिव पेयजल / तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन गढ़वाल / कुमाऊं
7. समस्त शाखा अध्यक्ष पेयजल / तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन गढ़वाल / कुमांऊ
8. सम्मानीय सम्पादक राष्ट्रीय सहारा / अमर उजाला / दैनिक हिन्दुस्तान / दैनिक जागरण को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

प्रांतीय महामंत्री